रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052024-254044 CG-DL-E-04052024-254044

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1811]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 4, 2024/वैशाख 14, 1946 NEW DELHI, SATURDAY, MAY 4, 2024/VAISAKHA 14, 1946

No. 1811]

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2024

का.आ. 1903(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के दो सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 03 मई, 2024 को निवृत्त हो गए हैं, स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:--

घोषणा

झारखंड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।
"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
की धारा 53 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

1. प्रदीप कुमार वर्मा

(नाम)

(पता)

(1)

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए थे (मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम)

313, रांची पुरुलिया रोड, बिरला परिसर, आरा, महिलौंग, रांची-835103. झारखंड।

2882 GI/2024

2. डा. सरफराज़ अहमद

(नाम)

जो झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा खड़े किए गए थे (मान्यताप्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम)

16, बौरो नगर पालिका, गिरिडीह,

(पता)

जिला-गिरिडीह पिन-815316,

झारखंड।

उस सदन में उन 02 (दो) सदस्य (सदस्यों) के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 03.05.2024 (तारीख, वर्ष का मास) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान (स्थानों) को भरने के लिए, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : झारखंड विधान सभा, रांची

तारीख: 14 मार्च, 2024

ਜ਼./-

रिटर्निंग आफिसर"।

[फा. सं. एच-11024/01/2023-वि02]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2024

S.O. 1903(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of two members, who retired on 03rd May, 2024, on the expiration of their term of office, is published for general information:-

Declaration

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jharkhand.

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that---

1. Pradip Kumar Varma

(Name)

sponsored by Bharatiya Janata Party (name of the recognised/registered political party)

313, Ranchi Puruliya Road,

(Address)

Birla Campus, Ara, Mahilong, Ranchi- 835103, Jharkhand.

2. Dr. Sarfraz Ahmad

(Name)

sponsored by Jharkhand Mukti Morcha (name of the recognised/registered political party)

16, Boro Nagarpalika, Giridih, (Address) Dist- Giridih, Pin-815316,

Jharkhand.

have been duly elected to fill the Seats(s) in that house of Council of States 02 (two) member (s) retiring on 03.05.2024 (date, Month of year) on the expiration of their term of office.

Place: Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi.

Date: 14th March, 2024

Sd-

Returning Officer".

[F. No. H.11024/01/2023-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. & Legislative Counsel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2024

का.आ. 1904(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ.1007(अ), तारीख 04 मार्च, 2024 के अनुसरण में झारखंड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा के निर्वाचित दो सदस्यों के स्थानों को, जो उनकी पदावधि के अवसान पर निवृत होने के कारण 3 मई. 2024 को रिक्त हो गए हैं: भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराए गए हैं:

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, झारखंड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं:--

क्रम सं.	सदस्य का नाम
1.	प्रदीप कुमार वर्मा
2.	सरफराज़ अहमद

[फा. सं. 11024/01/2023-वि02]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2024

S.O. 1904(E).—Whereas election has been held, in pursuance of notification number S.O. 1007(E), dated the 04th March, 2024 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of two members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jharkhand which fell vacant on the retirement of two members on the expiration of their term of office on 3rd May, 2024;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951, the name of the members elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jharkhand are hereby notified for general information:-

Sl. No.	Name of the Member
1.	Pradip Kumar Varma
2.	Sarfraz Ahmad

[F. No. H.11024/01/2023-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. & Legislative Counsel